रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253055
CG-DL-E-15032024-253055

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945**
No. 182]	**NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945**

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2024

सा.का नि.195(अ).— जबकि केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रारूप नियमों का और संशोधन करने के लिए, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 815 (अ), तारीख 3 नवंबर, 2023 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे;

और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 03 नवंबर, 2023 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, जबकि केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवाँ संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में नियम 174 के उप-नियम (1) में,

(क) खंड संख्या (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा:

‘ "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" से ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है जो परिवहन या उद्योग विभाग के आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो और जिसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

स्पष्टीकरण: उद्योग निदेशक या परिवहन निदेशक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में तब नाम निर्दिष्ट किया जाएगा जब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उद्योग आयुक्त या परिवहन आयुक्त का समतुल्य पद ना हो और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अध्याय के अधीन प्रारंभिक प्रमाण पत्र जारी करने, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने और उसका नवीनीकरण करने के लिए सशक्त होगा;’

(ख) क्रम संख्या (v) का लोप किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या (vi), (vii) और (viii) को क्रमशः (v), (vi) और (vii) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

(घ) क्रम संख्या (ix) का लोप किया जाएगा।

(ङ) क्रम संख्या (x) में, "सुविधा प्रदान करने" शब्द के स्थान पर "सुनिश्चित करने वाला" शब्द रखे जाएंगे।

(च) क्रम संख्या (x) और (xi) को क्रमशः (viii) और (ix) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

3. उक्त नियम के नियम 176 में,

(क) उप-नियम (3) के, क्रम संख्या (iii) में, "स्थायी खाता संख्या" शब्दों के पश्चात्, "या वैध कर कटौती खाता संख्या, जो लागू हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

(ख) उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (5) में, "और ऐसे अस्तित्व नियम 176, उप-नियम (4) के उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट वित्तीय मानदण्ड को पूरा करने से भी छूट प्राप्त होंगे” का लोप किया जाएगा।

(घ) उप-नियम (5) को उप-नियम (4) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

4. उक्त नियम के नियम 177 में, उप-नियम (2) में, "यान या ऑटोमोबाइल पुर्जों" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"या यानों को स्क्रैप करना।

परंतु स्वचालित परीक्षण स्टेशन को अन्य सभी गैर-परस्परविरोधी सेवाएं जैसे कैफेटेरिया, चालक प्रशिक्षण केंद्र, बहुविभागीय भंडार, बीमा कियोस्क प्रदान करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।"

5. उक्त नियम के नियम 178 के उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-

"परीक्षण के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली कोई भी सुविधा परीक्षण लेन स्थापित करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र होगा जिसकी लेन बिमा सारणी-क के अनुसार होगी।

(1-क) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए कुल सांकेतिक क्षेत्र पांच सौ वर्ग मीटर प्रति दोपहिया परीक्षण लेन और एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर प्रति तीन पहिया या हल्के या मध्यम या भारी मोटर वाहन परीक्षण लेन होगा।

(1-ख) समग्र सांकेतिक क्षेत्र में परीक्षण लेन जो सारणी-क में दिए गए हैं, स्वागत या सूचना केंद्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी सर्वर, वर्कस्टेशन, प्रसाधन कक्ष, वाहनों के लिए पार्किंग और दृश्य निरीक्षण क्षेत्र सहित प्रशासनिक ब्लॉक और उपयोगिता सुविधाओं के लिए क्षेत्र शामिल होंगे।

परंतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सुविधा केंद्र के विन्यास, भौगोलिक अवस्थिति और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुविधा केंद्र के लिए समग्र सांकेतिक क्षेत्र की आवश्यकता में छूट दे सकते हैं, जो सारणी-क में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाली लेन बिमाओं के अध्यधीन है।"

6. उक्त नियम के नियम 179 के उप-नियम (1) में, सारणी-ख के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात:-

"सारणी-ख"

क्र.सं.	**पदनाम**	**न्यूनतम जनशक्ति अपेक्षा**	**न्यूनतम अर्हता**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्र प्रधान/प्रबंधक	1	ऑटोमोबाइल या यांत्रिक या वैद्युत या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी या संबंधित विधाओं में डिप्लोमा और इसके साथ कम से कम पांच साल का वृतिक अनुभव जिसमें वाहन निरीक्षण, विनिर्माण या मरम्मत का कम से कम दो साल का अनुभव शामिल है और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों का पूर्ण ज्ञान रखता हो।
2.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी/प्रणाली विश्लेषक	1 (2 लेन तक) 2 (4 लेन तक)	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी या संबंधित विधाओं में डिप्लोमा और साथ ही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में कम से कम तीन साल का अनुभव रखता हो।
3.	आंकड़ा प्रविष्टी प्रचालक	1	कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा और साथ ही कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान।
4.	चालक (हल्के मोटर यान / भारी मोटर यान)	प्रति लेन प्रति पारी 2	चालन अनुज्ञप्ति और साथ ही कम से कम पांच साल का चालन अनुभव (हल्के मोटर यान या भारी मोटर यान) होना चाहिए।

5.	लेन प्रभारी/पर्यवेक्षक	प्रति पारी प्रत्येक 2 लेन के लिए 1	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मोटर मैकेनिक्स में डिप्लोमा और साथ ही ऑटोमोबाइल मरम्मत और रखरखाव का कम से कम तीन साल का अनुभव रखता हो।
6.	लेन ऑपरेटर	प्रति लेन प्रति पारी 1	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मोटर मैकेनिक्स में डिप्लोमा या किसी भी इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर स्ट्रीम में डिप्लोमा और साथ ही ऑटोमोबाइल मरम्मत और रखरखाव का कम से कम दो साल का अनुभव रखता हो।
7.	रखरखाव तकनीशियन	प्रति पारी प्रत्येक 2 लेन के लिए 1	किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा और साथ ही इलेक्ट्रिकल रखरखाव में कम से कम दो साल का अनुभव रखता हो।

7. उक्त नियम के नियम 180 के उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय जारी करने की तारीख से छह मास की समाप्ति के बाद अंतरणीय हो जाएगा।"

8. उक्त नियम के नियम 182 में,

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा:

“(1) ऐसे यान, जो नियम 189 के टिप्पण (क) में विनिर्दिष्ट किसी भी परीक्षण में असफल रहता है, के रजिस्ट्रीकरण स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को त्रुटियों को ठीक करवाने के पश्चात बहु पुन: परीक्षणों के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(1क) तथापि, यदि यान का अंतिम परीक्षण की तारीख से, जिसमें परीक्षण की तारीख नहीं है या उपयुक्तता प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से, इनमें जो भी बाद में हो, 180 दिन के भीतर परीक्षण नहीं किया जाता है, तो यान को ‘‘एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल’’ के रूप में प्रवर्गीकृत किया जाएगा और ईएलवी के रूप में वाहन में पताका लगाई जाएगी।“

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा:

“(2) यान, जो नियम 189 के टिप्पण (ख) में विनिर्दिष्ट किसी भी परीक्षण में असफल रहता है, के रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को बहु पुन: परीक्षणों के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।’’

(ग) उप-नियम (3) और उप-नियम (4) का लोप किया जाएगा।

9. उक्त नियम के नियम 183 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा:

"**183. परीक्षण के दक्ष प्रचालन और समग्रता की जिम्मेदारी:** ऐसे राज्य, जिसमें स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थित है, का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन का प्रचालन उस स्टेशन के ऑपरेटर द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियमों के अनुसार किया जाता

है। इन नियमों के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन और परीक्षण परिणामों की समग्रता बनाई रखी जाएगी।"

10. उक्त नियम के नियम 184 के उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा:

"स्वचालित परीक्षण स्टेशन का ऑपरेटर अधिकथित आवर्तन और रीति के अनुसार ऐसी संपरीक्षा और निर्धारण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय परीक्षण और अंकशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड या प्रव्यायित अभिकरण या किसी अन्य अभिकरण द्वारा सुविधा केंद्र की संपरीक्षा और निर्धारण सुनिश्चित करवाएगा''

11. उक्त नियम के नियम 188 की सारणी-ग में,

(क) क्रम संख्या 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 7 को क्रम संख्या 6 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

12. उक्त नियम के नियम 189 के टिप्पण (1) (2) (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखे जाएंगे:

"टिप्पण: (क) यदि कोई यान क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38 में विनिर्दिष्ट किसी भी परीक्षण (परीक्षणों) में असफल रहता है, तो ऐसे यान को अनफिट घोषित किया जाएगा और विहित उपयुक्तता परीक्षण शुल्क का संदाय करने के बाद बहु पुन: परीक्षणों के लिए आवेदन करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(ख) यदि यान पिछली परीक्षण तारीख (परीक्षण के दिन को छोड़कर) से 180 दिनों के भीतर या उपयुक्तता प्रमाणपत्र की समाप्ति से, जो भी बाद में हो, इसे एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (ईएलवी) के रूप में प्रवर्गीकृत किया जाएगा। आपवादिक परिस्थितियों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी अपने समाधानप्रद रूप में 180 दिनों से अधिक के विस्तार को अनुज्ञात कर सकता है।

(ग) कोई यान उपरोक्त (क) में सूचीबद्ध परीक्षणों से भिन्न और क्रम संख्या 8(ख), 12 (ख), 14, 15, 16, 17(क) और 39 (ऐसे परीक्षण जिनका यान की उपयुक्तता की प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यान के इष्टतम प्रदर्शन के लिए यान स्वामी द्वारा परीक्षण कराने की सिफारिश की जाती है) के सिवाए, परीक्षण में असफल रहता है, तो ऐसे यान को 'अनुपयुक्त' घोषित किया जाएगा। विहित उपयुक्तता परीक्षण शुल्क का संदाय करने के बाद ऐसे यान के बहु पुन: परीक्षण किए जा सकेंगे।

(घ) कोई यान क्रम संख्या संख्या 8(ख), 12 (ख),14, 15, 16, 17 (क) और 39 के सिवाए जिनका यान की उपयुक्तता की प्रास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यान के इष्टतम प्रदर्शन के लिए यान स्वामी को परीक्षण कराने की सिफारिश की जाती है, सभी परीक्षणों में सफल रहता है, तो उसे 'उपयुक्त' घोषित किया जाएगा।"

टिप्पण (5) को टिप्पण (ड.) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

13. उक्त नियम के नियम 190 में,

(क) उप-नियम (5) में, सारणी-च के स्थान पर स्तम्भ शीर्ष में, "हल्के वाणिज्यिक यान" शब्दों के पश्चात्, "और हल्के मोटर यान" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-नियम (6) की सारणी-छ में, क्रम संख्या (8) में बिंदु (ख) और (ग) का लोप किया जाएगा:

(ग) उप-नियम (6) की सारणी-छ में, बिंदु (क) के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"(ख) अंतर्निहित वाई-फाई और जीपीएस सपोर्ट जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ छवियों की जियो-टैगिंग की अनुमति देता है"

14. उक्त नियम के प्ररूप 63 में,

(क) क्रम संख्या 2 की मद संख्या च में, "पैन" शब्द के पश्चात्, "/टैन, जो लागू हो" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 3 में, स्तम्भ शीर्ष में, "/ 3-पहिया" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या 3 में, स्तम्भ शीर्ष में, "हल्के मोटर यान" शब्दों के पश्चात्, "/ 3-व्हीलर" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

15. उक्त नियम के प्ररूप 64 में,

(क) क्रम संख्या 2 की मद संख्या च में, "पैन" शब्द के बाद, "/टैन, जो लागू हो" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 3 के स्तम्भ शीर्ष में, "/ 3-पहिया" शब्द का लोप किया जाएगा

(ग) क्रम संख्या 3 के स्तम्भ शीर्ष में, "हल्के मोटर यान" शब्दों के पश्चात्, "/ 3-पहिया" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

16. उक्त नियम के प्ररुप 68 का लोप किया जाएगा।

17. उक्त नियमों के प्ररूप 69 में,

(क) स्तम्भ 9 के स्तम्भ शीर्ष में, "परीक्षण प्रास्थिति (प्रारंभिक परीक्षण / पहला पुन: परीक्षण / दूसरा पुन: परीक्षण" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:

‘‘परीक्षण का परिणाम"

(ख) धारा 2 में, 'निरीक्षण परिणाम', उप-धारा (ख) में तिपहिया यानों के लिए, भाग ग, क्रम संख्या 5 के स्तम्भ (3) में " अथवा 37" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ग) धारा 2 में, निरीक्षण परिणाम', उप-धारा (ख) में तिपहिया यानों के लिए भाग ग, क्रम संख्या 6 के स्तम्भ (3) में " अथवा 38" शब्द का लोप किया जाएगा।

(घ) धारा 2 में, निरीक्षण परिणाम', उप-धारा (ग) में दोपहिया यानों के लिए, भाग ग, स्तम्भ (3), क्रम संख्या 4 में "31 अथवा" शब्द का लोप किया जाएगा।

(ड.) धारा 2 में निरीक्षण परिणाम', उप-धारा (ग) में दोपहिया यानों के लिए, भाग ग, स्तम्भ (3), क्रम संख्या 5 में "32 अथवा" शब्द का लोप किया जाएगा।

[सं. आरटी-16011/3/2023-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण.- मुख्य नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 174(अ), दिनांक 11 मार्च, 2024 के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

G.S.R. 195(E).— WHEREAS the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification number G.S.R. 815 (E), dated the 3rd November, 2023 of the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 3rd November, 2023;

AND WHEREAS, the objections and suggestions received have been considered by the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. Short title and commencement. **-** (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 174, in sub-rule (1),-

(a) for clause (iv), the following shall be substituted, namely:-

‘ “Registering authority” means any officer not below the rank of Commissioner of Transport or Industries Department, nominated by the State/Union Territory Government.

Explanation: Director of Industries or Director of Transport may be nominated as the registering authority in case the State/ Union Territory does not have a position equivalent to Commissioner of Industries or Commissioner of Transport and the registering authority shall be empowered to issue Preliminary Registration Certificate, issue and renewal of Registration Certificate under this chapter for the registration of Automated Testing Stations.’;

(b) clause (v) shall be omitted;

(c) clauses (vi), (vii) and (viii) shall be re-numbered as (v), (vi) and (vii) respectively;

(d) clause (ix) shall be omitted;

(e) in clause (x), for the word “facilitating”, the word “ensuring” shall be substituted;

(f) clauses (x) and (xi) shall be re-numbered as (viii) and (ix) respectively.

3. In rule 176 of the said rules,-

(a) in sub-rule (3), in serial number (iii), after the word “Number”, the words “or valid Tax Deduction Account Number, as applicable” shall be inserted;

(b) sub-rule (4) shall be omitted;

(c) in sub-rule (5), the words “and such entities shall also be exempt from meeting financial criterion specified in sub-rule (4) of rule 176, sub-rule (4)” shall be omitted;

(d) sub-rule (5) shall be re-numbered as sub-rule (4).

4. In rule 177 of the said rules, in sub-rule (2), after the words “vehicles or automobile spares,”, the following shall be inserted, namely:-

“or scrapping of vehicles:

Provided that the Automated Testing Station shall be allowed to provide all other non-conflicting services, such as cafeteria, driver training centers, departmental stores, insurance kiosks”.

5. In rule 178 of the said rules, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

“Any facility to be used for the purpose of testing shall have sufficient area to establish testing lanes having lane dimension as per Table-A.

(1A) The total indicative area for an Automated Testing Station shall be five hundred square meters per two-wheeler test lane and one thousand five hundred square meters per three-wheeler or Light or Medium or Heavy Motor Vehicle test lane.

(1B) The overall indicative area shall include the test lanes given in Table-A, administrative block including reception or information centre, waiting area, Information technology server, workstation, washrooms, parking and visual inspection area for vehicles, and the area for utilities.

Provided that the State/Union Territory may relax the requirement of overall indicative area for a facility keeping in consideration the layout of the facility, geographical location and local conditions, subject to lane dimensions meeting the requirements specified in Table-A.".

6. In rule 179 of the said rules, in sub-rule (1), for Table-B the following Table shall be substituted, namely:-

"Table-B

Sl. No.	**Designation**	**Minimum manpower requirement**	**Minimum Qualification**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Centre Head/Manager	1	Diploma in Automobile or Mechanical or Electrical or Electronic Engineering or related disciplines with at least five years of professional experience which includes at least two years of experience in vehicle inspection, manufacturing or repair and shall have thorough knowledge of the Act and the rules made thereunder.
2.	Information technology in charge/System Analyst	1 (up to 2 Lanes) 2 (up to 4 lanes)	Diploma in Computer Science or Information technology or Electronics and Communication Engineering or related disciplines from recognised institution with at least three years of experience in hardware, software and networking.
3.	Data Entry Operator	1	Diploma in Computer Application with basic computer knowledge.
4.	Driver (Light Motor Vehicle/Heavy Motor Vehicle)	2 per lane per shift	Driving license with minimum five years of driving experience (Light Motor Vehicle or Heavy Motor Vehicle).

5.	Lane in charge/ Supervisor	1 for every 2 lanes per shift	Diploma in Motor Mechanics or Diploma in Mechanical or Automobile or Electrical stream from recognised institution with minimum three years of experience in automobile repair and maintenance.
6.	Lane Operator	1 per lane per shift	Diploma in Motor Mechanics or Electrical or Computer stream from recognised institution with minimum two years of experience in automobile repair and maintenance.
7.	Maintenance Technician	1 for every 2 lanes per shift	Diploma in Air Conditioning and Refrigeration or Industrial Training Institute Electrician or Diploma in Mechanical or Electrical from recognised institution with minimum two years of experience in electrical maintenance."

7. In rule 180 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"The Preliminary Registration Certificate shall become transferable after expiry of six months from the date of issuance.".

8. In rule 182 of the said rules,

(a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted:

"(1) The registered owner or authorised signatory of the vehicle that fails any of the test specified in Note (a) of rule 189 shall be allowed to apply for multiple re-tests after getting the defects rectified.

(1A) However, if the vehicle is not tested within 180 days from the date of last test excluding the day of test or from the date of expiry of fitness certificate, whichever is later, the vehicle shall be categorised as 'End-of-Life Vehicle' and flagged in the VAHAN as ELV.";

(b) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) The registered owner or authorised signatory of the vehicle that fails any of the tests specified in Note (c) of rule 189 shall be allowed to apply for multiple re-tests.";

(c) sub-rule (3) and (4) shall be omitted.

9. For rule 183 of the said rules, following rule shall be substituted, namely:-

"183. Responsibility of efficient operations and integrity of the test: The Registering Authority of the State in which the Automated Testing Station is located shall ensure that the operation of the Automated Testing Station is conducted by the operator of that station in accordance with rules for Recognition, Regulation and Control of Automated Testing Station. The compliance to the testing procedure and the integrity of the test results shall be maintained in accordance with these rules.";

10. In rule 184 of the said rules, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"The Operator of Automated Testing Station shall ensure audit and assessment of the facility by a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory accredited agency or any other agency notified by the Central Government for conducting such audits and assessments as per the laid down periodicity and manner.";

11. In rule 188 of the said rules, in Table-C,-

(a) serial number 6 and the entries thereto shall be omitted;

(b) serial number 7 shall be re-numbered as serial number 6;

12. In rule 189 of the said rules, for Notes (1) (2) (3) and (4), the following notes shall be substituted, namely:-

"Notes: (a) If a vehicle fails any of the test(s) specified in serial number 1, 11, 12(a), 13, 17(b), 31, 32, 34, 35, 37 and 38, such vehicle shall be declared as unfit and shall be allowed to apply for multiple re-tests after paying prescribed fitness testing fee.

(b) if The vehicle is not tested within 180 days from the last test date (excluding the day of test) or from the date of expiry of fitness certificate, whichever is later, it shall be categorised as 'End-of-Life Vehicle' (ELV). The registering authority of the State/Union Territory to their satisfaction, may allow extension beyond 180 days, under exceptional circumstances.

(c) a vehicle fails any of the test(s) other than those listed in (a) above and except serial number 8(b), 12(b), 14, 15, 16, 17(a) and 39 (tests which have no bearing on the fitness status of a vehicle but are recommended to be fixed by vehicle owner for optimal vehicle performance), such vehicle shall be declared as 'Unfit'. Such vehicle may undergo multiple re-tests, after paying the prescribed fitness testing fee.

(d) a vehicle passes all the tests except serial number 8(b), 12(b), 14, 15, 16, 17(a) and 39, which have no bearing on the fitness status of a vehicle but are recommended to be fixed by vehicle owner for optimal vehicle performance, it shall be declared as 'fit'." ;

Note (5) shall be re-numbered as note (e).

13. In rule 190 of the said rules.-

(a) in sub-rule (5) for Table-F, in the column header, after the words "Light Commercial Vehicles", the words "and Light Motor Vehicles" shall be inserted;

(b) in sub-rule (6) in Table-G, in serial number (8), points (b) and (c) shall be omitted;

(c) in sub-rule (6) in Table-G, after point (a), the following shall be inserted, namely;-

"(b) Built-in Wi-Fi and GPS support that allows geo-tagging of images with GPS coordinates.".

14. In form 63 of the said rules.-

(a) in serial number 2, item number f., after the word "PAN", the word "/ TAN, as applicable" shall be inserted;

(b) in serial number 3, in the column header, the words "/ 3-Wheeler" shall be omitted;

(c) in serial number 3, in the column header, after the words "Light Motor Vehicle", the words "/ 3-wheeler" shall be inserted.

15. In form 64 of the said rules.-

(a) in serial number 2, item number f., after the word "PAN", the word "/ TAN, as applicable" shall be inserted;

(b) in serial number 3, in the column header, the words "/ 3-Wheeler" shall be omitted;

(c) in serial number 3, in the column header, after the words "Light Motor Vehicle", the words "/ 3-wheeler" shall be inserted.

16. Form 68 of the said rules shall be omitted.

17. In form 69 of the said rules.-

(a) in the column header of column 9, for the words and numerals "Test Status (Initial Test/1st Re-test/2nd Re-test" the following shall be substituted, namely-:-

"Test Result";

(b) in section '2. Inspection result', sub-section '(b) For Three Wheelers', Part C, column (3) of serial number 5, the words "or 37" shall be omitted;

(c) in section '2. Inspection result', sub-section '(b) For Three Wheelers', Part C, column (3) of serial number 6, the words "or 38" shall be omitted;

(d) in section '2. Inspection result', sub-section '(c) For Two Wheelers', Part C, column (3), of serial number 4, the words "31 or" shall be omitted;

(e) in section '2. Inspection result', in sub-section '(c) For Two Wheelers', Part C, column (3), of serial number 5, the words "32 or" shall be omitted.

[No.RT-16011/3/2023-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated 2nd day of June, 1989 and lastly amended vide notification number G.S.R. 174(E), dated 11th March, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.15 16:53:00 +05'30'